कार्यालय :: प्रमुख अधीक्षक, लाला लाजपत राय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, कानपुर ।

पत्रॉकः–531/प्रा०अ०कै०/ला०ला०रा०एवंसं०चिकि०/2026 दिनाँकः–22/09/2026

–:: नीलामी नोटिस ::–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर में नवीन संक्रामक रोग के निर्माण कार्य में कार्यस्थल पर विद्यमान 31 नग वृक्षों के पातन कार्य हेतु कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग कानपुर नगर के पत्रांक सं0–579/221 दिनांक–17/08/2026 द्वारा प्राप्त विभागीय अनुमति के उपरान्त निर्माण कार्य के अन्तर्गत 31 नग वृक्ष निर्माण स्थल पर खड़े है, जिनकी सार्वजनिक **नीलामी दिनांक 30–09–2026 की दोपहर 02:00 बजे** लाला लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर में बोली प्रकिया सम्पन्न की जाएगी। बोली लगाने से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में वृक्षों को स्वयं देखा जा सकता है। वृक्ष जिस दशा में है उसी दशा में नीलाम किये जायेंगें। नीलामी नोटिस को जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर की वेबसाइट www.gsvmmedicalcollege.com पर देखी जा सकती है।

(क) नीलामी में प्रतिभाग हेतु अर्हताएं–

1. आयकर विभाग में पंजीकृत हो तथा बोलीदाता द्वारा विगत वित्तीय वर्षों (न्यूनतम 02 वर्ष) का आयकर रिर्टन प्रस्तुत किया जाये।
2. जी.एस.टी. में पंजीकृत तथा पंजीकृत व्यक्ति द्वारा ही बोली में प्रतिभाग किया जाये।
3. एफ.डी.आर./डी.डी. (अंकन रू. 4,000/–) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, ला0ला0रा0 चिकित्सालय, कानपुर के नाम देय होना चाहिए। (नगद मान्य नहीं)
4. नीलामी में भाग हेतु किसी संस्था/शासकीय निकाय से ब्लैक लिस्ट (प्रतिबन्धित) न किये जाने का घोषणापत्र।

(ख) नीलामी की शर्ते निम्नानुसार है–

1. नीलामी समिति को पूर्ण अधिकार है कि वह 31 नग वृक्षों की नीलामी कराये।
2. वृक्ष जिस स्थल पर जिस दशा में है उसी दशा में नीलामी की जायेगी। इस पर नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार का प्रतिवाद करने का अधिकार नहीं होगा।
3. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अपने समस्त अभिलेख एवं शुल्क इत्यादि दिनांक–28.09.2026 तक अथवा उसी दिन दोपहर 12:00 बजे तक लाला लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर में जमा कराने होंगे।
4. केवल उसी व्यक्ति को नीलामी में बोली बोलने का अधिकार होगा जिसके द्वारा निर्धारित धनराशि (चार हजार रूपये मात्र की एफ.डी.आर./डी.डी.) जमा करा के टोकन प्राप्त किया होगा।
5. नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता, जिनके नाम बोली नहीं छूटेगी, उनको नीलामी की समाप्ति के बाद उसी दिन अथवा अगले कार्यदिवस (जैसी भी स्थिति) में उनके द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी। उच्चतम बोलीदाता की बोली स्वीकृत हो जाने पर उसके द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि को समायोजित कर लिया जायेगा।
6. नीलामी समिति को पूर्ण अधिकार है कि वह बिना कारण बतायें सम्पूर्ण अथवा उसके किसी भाग के नीलामी को किसी भी स्तर पर स्थगित अथवा निरस्त कर दें। इस बिन्दु पर किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी और किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी सक्षम न्यायालय की शरण लेने का अधिकार नहीं होगा।
7. उच्चतम बोलीदाता द्वारा बोली स्वीकृत होने के तत्काल बाद सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान चेक/नगद के माध्यम से तत्काल जमा करना होगा। सभी बोलीदाता चेक/नगद जमा करने की व्यवस्था के साथ नीलामी में प्रतिभाग करें, ऐसा न कर पाने की स्थिति में आपकी बोली को निरस्त करते हुए द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को अवसर प्रदान किया जायेगा, इसी प्रकार यह प्रकिया क्रमशः की जायेगी।
8. नीलामी की बोली स्वीकृत हो जाने पर पेड़ों की नीलामी के पश्चात पेड़ों को कटवाने की/उठाये जाने की तिथि (बोली सवीकृत होने के 01 सप्ताह के अन्दर) तक सुरक्षा का उत्तरदायित्व क्रयकर्ता का स्वयं का होगा। किसी प्रकार भी इसके लिए विभाग उत्तरदायी न होगा।
09. किसी भी बोली को स्वीकृत /निरस्त करने का अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित होगा। नीलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद के लिए नीलामी समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा। किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी व्यक्ति को न्यायालय की शरण लेने का अधिकार नहीं होगा।
10. नीलामी स्थल पर नीलामी में भाग लेने हेतु वैध टोकन प्राप्त व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगा तथा किसी भी अस्त्र–शस्त्र धारक व्यक्ति का प्रवेश निषिद्ध, अवैध, दण्डनीय होगा। वैध टोकन धारक अपने साथ नीलामी स्थल पर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं ला सकेगा।

क्रमशः पेज–02

11. बोलीदाताओं द्वारा नीलामी में जमा की गई चेक के बाउंस/अनादरण होने पर सम्बन्धित बोलीदाता को ब्लैक लिस्ट करते हुए बोलीदाता के विरूद्ध बी0एन0एस0 की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराना अथवा कानूनी कार्यवाही प्रकिया में लायी जायेगी।

12. नीलामी में प्रतिभाग करने वाले को यह प्रमाणित करना होगा कि इस संस्था में उसका कोई पारिवारिक सदस्य अथवा नजदीकी रिश्तेदार कार्यरत नहीं है और न ही यह किसी प्रकार की किसी स्रोत से सिफारिश करायेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी, तथा वह व्यक्ति आगे की नीलामी में भाग नहीं ले सकेगा।

(ग) वन विभाग की शर्तें–

1. उपरोक्त वृक्ष की नीलामी के पश्चात् रु० 100/– प्रति वृक्ष पातन अनुमति एवं नीलामी किये गये मूल्य का नियमानुसार अभिवहन शुल्क, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर नगर अथवा क्षेत्रीय वन अधिकारी कानपुर के कार्यालय में जमा करें, अभिवहन पास अनिवार्य रुप से प्राप्त करना होगा।
2. क्रेता को नीलामी द्वारा निस्तारित वृक्ष/वृक्षों के पातन हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर।के कार्यालय के पातन/अभिवहन अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
(नीलामी अध्यक्ष)
लाला लाजपत राय चिकित्सालय
कानपुर।

पत्रांकः–531**/2026 तद्दिनाँकः–** 22-09-2026

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर ।
2. प्रधानाचार्य, जी०एस०वी०एम० मेडिकल 0कालेज, कानपुर नगर ।
3. प्रमुख अधीक्षक, लाला लाजपत राय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, कानपुर ।
4. प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, कानपुर नगर ।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, डा0 संक्रामक रोग चिकित्सालय, कानपुर।
6. प्रभारी अधिकारी, कैम्पस, लाला लाजपत राय एवं संम्बद्ध चिकित्सालय, कानपुर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पातन का कार्य अपनी देख–रेख में सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।
7. नोडल अधिकारी, वेब साइट, जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर।
8. अवर अभियन्ता (सिविल), जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर नगर ।
9. अवर अभियन्ता (विद्युत), जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर नगर ।
10. लेखा लिपिक/कैशियर ला०ला०रा० चिकित्सालय, कानपुर ।
11. नोटिस बोर्ड (कालेज/चिकित्सालय)।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
(नीलामी अध्यक्ष)
लाला लाजपत राय चिकित्सालय
कानपुर।